

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए 3-20/2013/1/पांच (29)

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के वर्ष 2017-2018 की प्रथम तिमाही के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों को वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उनका कर निर्धारण निम्नलिखित योजना में उल्लिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, कर दिया गया समझा जाएगा :-

1. रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का वर्ग :-

ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 के लंबित कर निर्धारण प्रकरण निम्नलिखित व्यापारी को छोड़कर :

(क) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि में कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान का व्यवसाय किया गया हो।

- (ख) ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/कर के संदाय के आस्थगन/निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हों।
- (ग) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 की अवधि के लिए कर अपवंचन पाया गया हो।
- (घ) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 18 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो।
- (ङ) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के पश्चात धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो।
- (च) ऐसे मामलों में जहाँ वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य हो।
- (छ) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिनके द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अंतर्गत फार्म जीएसटी ट्रान-1 प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिनियम तथा कर निर्धारण वर्ष.— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन वर्ष 2017-2018 के प्रथम त्रैमास के कर निर्धारण के लंबित मामले सम्मिलित होंगे।
3. आवेदन पत्र.— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना के फार्म क, ख अथवा ग में पृथक् से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
4. आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तथा सक्षम अधिकारी.— पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना के फार्म में, जो भी लागू हो, आवेदन इस स्कीम के प्रकाशन से 90 दिन के भीतर, उस कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास के कर निर्धारण प्रकरण लंबित होंगे।
5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज.—
- (1) प्रत्येक आवेदन पर रु. 5/- का एक न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जाएगा।

- (2) संबंधित त्रैमास के लिए संदत्त किए गए कर तथा ब्याज की रकम यदि कोई हो, भुगतान के सबूत के रूप में चालान की प्रति।
- (3) वेट अधिनियम के अधीन आवेदन के साथ संबंधित कर निर्धारण वर्ष के प्रथम त्रैमास में किए गए क्रय विक्रय की सूची मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 21 के उपनियम (2) के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। यदि पूर्व में सूची प्रस्तुत की जा चुकी है तो सूची पुनः प्रस्तुत नहीं की जाएगी।
- (4) प्रत्येक व्यापारी जिसका वर्ष 2017-18 में टर्न ओवर एक करोड़ से अधिक है, वह चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा वेट अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अनुसार तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट, यदि पहले ही प्रस्तुत नहीं की गई हो, प्रस्तुत करेगा तथा व्यापारी जिनका टर्न ओवर 10 करोड़ से अधिक है, वेट नियम, 2006 के नियम 54 के उपनियम (1) के अधीन ऑडिट रिपोर्ट फार्म-41-ए में प्रस्तुत करेगा।
- (5) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर से छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र यथा फार्म-सी/फार्म-एफ/फार्म-ई-1/फार्म-ई-2/फार्म-एच/फार्म-आई, सूची सहित संलग्न किए जाएंगे।

6. उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.-

यदि किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जिसने इस अधिसूचना के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा विभागीय अभिलेख में, संबंधित कालावधि के दौरान किए गए क्रयों या विक्रयों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय की समाधानप्रद फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि संबंधित कालावधि के दौरान उसके द्वारा कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण कर दिया गया समझा जाएगा।

7. प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा:-

2

- (1) यदि सक्षम अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा।
- (2) यदि यथापूर्वोक्त कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (3) आवेदक, त्रुटियों को यदि कोई हों, दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। त्रुटियों के सुधार के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उसका कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा।
- (4) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी।
- (5) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी। उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
- (6) आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जा सकेंगे।

फार्म-ए

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन वर्ष 2017-18 (प्रथम त्रैमास) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी,

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	:
2.	करदाता का पहचान क्रमांक (टिन)	:
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2017-18 के प्रथम त्रैमास के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हाँ" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें।	हाँ/ना
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक	:
5.	ग्रास टर्नओवर	:
6.	कटौतियाँ	
	(क) पृथक् से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि	:
	(ख) नगद छूट की राशि	:
	(ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि	:
	(घ) कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि	:
	(ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की राशि के साथ एफ फार्म संलग्न करें	:
	(च) अंतर्राज्यीय विक्रय राशि	:
	(छ) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	:
	(ज) अन्य कटौतियाँ (विवरण एवं साक्ष्य दें)	:
	कुल कटौतियाँ (क से ज तक)	:
7.	कर योग्य (टर्नओवर) (5-6)	:
8.	कर योग्य कुल राशि (टर्नओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण	
	कर की दर	कुल विक्रय
	25 प्रतिशत	
	20 प्रतिशत	
	16 प्रतिशत	
	15 प्रतिशत	
	14 प्रतिशत	

	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल योग		
13.	वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण प्रकरण में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अग्रणीत आगत कर छूट की राशि	:
14.	वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि	:
15.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि	:
16.	अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतरित आगत कर छूट की राशि	:
17.	शेष देय राशि (11-14)	:
18.	धारा 18 (4) (क) के अधीन ब्याज की राशि (यदि देय हो)	:
19.	धारा 18 (4) (ख) के अधीन शास्ति की राशि (यदि देय हो)	:
20.	देय वेट, ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (17+18+19)	:
21.	चालानों द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)	:
22.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की राशि (टी.डी.एस.प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:
23.	समायोजित वापसी की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक)	:
24.	जमा राशि का योग (21+22+23)	:
25.	शेष अतिरिक्त मांग (20-24)	:
26.	वापसी की राशि, यदि कोई हो	:
27.	पूर्व वर्ष से अग्रणीत आगत कर की छूट के कारण वापसी की राशि	:
28.	कॉलम 13 में दर्शाई गई राशि एवं कॉलम 27 में दर्शाई गई राशि में अंतर होने की स्थिति में अंतर का कारण विनिर्दिष्ट करें	:
29.	आवेदन के समय जमा की राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक)	:

मैं का प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/.....
 एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

फर्म का नाम :

फार्म-बी

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2017-18 (प्रथम त्रैमास) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदन प्रति,
कर निर्धारण प्राधिकारी, (अधिकारी)

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	:			
2.	करदाता का पहचान क्रमांक (टिन)	:			
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2017-18 के प्रथम त्रैमास के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हाँ" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें।	हाँ/ना			
4.	ऐसी नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक	:			
5.	सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय	:			
6.	कटौतियाँ	:			
	(क) पूर्णतः कर मुक्त माल की विक्रय राशि	:			
	(ख) पश्चातवर्ती विक्रय सूची के साथ (प्ररूप-सी /ई-1/ई-2, संलग्न करें)	:			
	(ग) अन्य कटौतियाँ (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें)	:			
	कुल कटौतियाँ	:			
7.	कर योग्य विक्रय (5-6)	:			
8.	कर योग्य विक्रय का दर अनुसार विभाजन				
	अ.क्र.	विवरण	विक्रय टर्न ओवर	कर की दर	कर की राशि
	01.	"सी" फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची अनुसार)
	02.	बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय
	03.	
	04.	
9.	कुल देयकर :				
10.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो) :				
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो) :				
12.	देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति (9+10+11) का योग :				
13.	वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि :				
14.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) :				
15.	वापसी समायोजित राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक) :				
16.	योग (13+14+15) :				
17.	शेष अतिरिक्त मांग (12-16) :				
18.	वापसी की राशि (यदि कोई हो) :				
19.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें) :				

में प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/.....
एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।
स्थान :
दिनांक :
हस्ताक्षर :
फर्म का नाम :

फार्म-सी

प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2017-18 (प्रथम त्रैमास) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी, (अधिकारी)

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	:
2.	करदाता का पहचान क्रमांक (टिन)	:
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2017-18 के प्रथम त्रैमास के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हां" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें।	हाँ/ना
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन तथा दिनांक	:
5.	सकल क्रय राशि	:
6.	कटौतियाँ	
(1)	धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल की क्रय राशि	:
(2)	स्थानीय माल की क्रय राशि	:
(3)	स्थानीय माल को छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल की क्रय मूल्य	:
(4)	अन्तर्राज्यीय विक्रय में गए माल की क्रय मूल्य	:
(5)	प्रदेश बाहर विक्रय/ट्रान्सफर में गए माल की क्रय मूल्य	:
(6)	निर्यात के अनुक्रम में गए माल की क्रय मूल्य	:
(7)	पुनः विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल की क्रय मूल्य	:
(8)	अन्य कटौतियाँ (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें)	:
(9)	कुल कटौतियाँ	:
7.	कर योग्य क्रय राशि (5-6)	:
8.	कर योग्य राशि पर कर की गणना	
	दर	कर योग्य राशि
	देय कर	
	1 प्रतिशत	
	2 प्रतिशत	
	3 प्रतिशत	
	10 प्रतिशत	
	12.5 प्रतिशत	
	25 प्रतिशत	
	अन्य दर	

9.	कुल देय प्रवेश कर	:
10.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)	:
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शारिर्त्त की राशि (यदि देय हो)	:
12.	योग (9+10+11)	:
13.	मुजराई (यदि कोई हो)	:
14.	वापसी समायोजन की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक.)	:
15.	योग (13+14)	:
16.	शेष देय राशि (12-15)	:
17.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि कोई राशि पूर्व में जमा की गई हो)	:
18.	शेष अतिरिक्त मांग (16-17)	:
19.	वापसी की राशि (यदि कोई हो)	:
20.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)	:

मैं प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/.....
 एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान :
 दिनांक :

हस्ताक्षर :

फर्म का नाम :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (29), दिनांक 8 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अरुण परमार, उपसचिव.

F A 3-20/2013/1/V (29)

Bhopal, the 8th March 2019

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (I-B) read with Sub-Section (2) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, the State Government, hereby, notifies that the pending assessment cases under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No 52 of 1976), of the registered dealers, for the first quarter of year 2017-2018 shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 subject to the requirements, restrictions and conditions, mentioned in the following scheme :-

1. The class of registered dealers :

The pending assessment cases of the registered dealers under Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 for the period from 1st April, 2017 to 30th June, 2017, excluding the following registered dealers :

- (a) The registered dealers, who continue to be liable to pay tax under Madhya Pradesh VAT Act, 2002 or under Central Sales Tax Act, 1956 during 1st July, 2017 to 31st March, 2018 due to their dealing in non-GST goods, i.e. Petroleum Crude, High Speed Diesel, Motor Spirit (commonly known as Petrol), Natural Gas, Aviation Turbine Fuel and alcoholic liquor for human consumption.

- (b) Such Industrial units which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of tax/Investment Promotion Assistance under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.
- (c) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the period 1st April, 2017 to 30th June, 2017.
- (d) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5) of Section 18 of the VAT Act and this requirement has not been complied with before submission of application.
- (e) The dealers in whose cases notice has been issued under sub-section (6) of Section 19, after Tax Audit and this requirement has not been complied with before submission of application.
- (g) In case refund of any kind is due to him under VAT Act, 2002 or Central Sales Tax Act, 1956 or the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 .
- (h) The registered dealer, who has filed FORM GST TRAN-1 under Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (19 of 2017).
2. **Acts and the assessment year :** Pending assessment cases under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No 52 of 1956) for first quarter of the year 2017-18.

3. **Application:-** An application shall be submitted separately in Form-'A', 'B' or 'C' under the Vat Act, 2002 Central Sales Tax Act 1956 and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976.
4. **Time limit for submission of the application and the competent officer:** An application shall be submitted by the eligible dealer within 90 days from the publication of scheme in the Form appended to this notification whichever applicable, to the appropriate assessing officer before whom the assessment case for first quarter of the year 2017-18 is pending.
5. **The documents to be enclosed with the application:-**
 - (1) On every application a court fee stamp of Rs.5/- shall be affixed.
 - (2) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interest if any, paid for relevant year.
 - (3) A list of sales and purchases for the assessment period shall be submitted with the application under Vat Act as per sub-rule (2) of rule 21 of Vat Rule 2006. If the lists have already been submitted these will not be needed again.
 - (4) Every dealer whose turnover during the financial year 2017-18 exceeds Rs. 1 crore shall submit an audit report as per sub-section (2), of section 39, if not submitted already, prepared by the Chartered

Accountant. However a dealer whose annual turnover exceeds Rs. 10 crore shall submit such audit report in form 41-A as per sub-rule (1) of rule 54 of Vat Rules, 2006.

- (5) The declaration Form as Form C/Form F/Form E-1/Form E-2/Form H/ Form I prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act shall be enclosed along with their list.

6. For the dealers, who have not submitted application:-

In respect of a dealer who has not submitted any application under this notification, if no information is available relating to purchases or sales made during the relevant period in the departmental record or where a satisfactory field report has been filed by any departmental officer to the effect that no purchases or sales have been made in the relevant period, the assessment shall be deemed to have been made for such dealer.

7. Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made:-

- (1) If the competent officer, before whom an application is submitted, finds it incomplete or any mistake in respect of calculation is detected, he shall afford one opportunity of hearing to the applicant.
- (2) If any defect as aforesaid is found, a show cause notice shall be issued after recording the reasons thereof and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.

- (3) The applicant shall rectify the defect, if any, and file the documents. After the removal of defects, the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.
- (4) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the defect is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.
- (5) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.
- (6) Appropriate instructions for the implementation of the scheme may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

Application under the Notification no. ----- dated -----
for the assessment case of year 2017-18 (first quarter) under Madhya Pradesh Vat Act, 2002

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1	Name and address of Dealer		
2	(TIN) Taxpayers Identification No		
3	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of first quarter of the year 2017-18. If "Yes" then attach copy of notice.		Yes/No
4	Description and date of compliance of such notice		
5	Gross turnover		
6	Deductions:-		
	(a)	Cost of freight or delivery or installation separately charged.	
	(b)	Amount of cash discount	
	(c)	Amount of sales return within six months.	
	(d)	Amount of sale of goods declared tax free.	
	(e)	Sales outside the State/amount of branch transfer.(Attach F form along with list)	
	(f)	Amount of Inter State sales	
	(g)	Sales in the course of export out of the territory of India.	
	(h)	Other deductions (give particulars and evidence)	
		Total deductions (a to h)	
7	Taxable Turnover (5-6)		
8.	Rate wise classification of taxable turnover		
	Rate of tax	Total Sales	Tax payable
	25 percent		

	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate, if any,		
	Total		

9.	Purchase Tax		
	Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
10.	Reversal of Input tax rebate		
	Rate	Turnover	Reversed Input tax
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		

	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
11.	Gross Total (8+9+10)		
12.	Calculation of input tax rebate		
	Rate	Turnover	Input tax
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
13.	Carry forwarded Input tax rebate amount by the Assessing Officer in the assessment case of year <u>2016-2017</u>		
14.	Amount of Input tax rebate adjusted against VAT		
15.	Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax		
16.	Amount of Input tax rebate transferred to other Registered Dealer		
17.	Remaining amount payable (11-14)		
18.	Amount of interest (if payable) according to section 18(4)(a)		
19.	Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b)		
20.	Total amount of tax, interest and penalty payable (17+18+19)		
21.	Amount deposited by challan (if deposited previously)		
22.	Amount of TDS Certificates (Attach TDS Certificates)		
23.	Amount of refund adjustment order (RAO No.)		

24.	Total amount deposited (21+22+23)	
25.	Remaining additional demand (20-24)	
26.	Amount of refund, if any	
27.	Amount of refund due to brought forward Input tax rebate	
28.	Specify the reasons of difference as shown in the amounts of column 13 and column 27	
29.	Amount deposited at the time of application (Challan number and date)	

I,-----Proprietor/Partner/Director of
----- hereby verify that the above facts are true to the best of
my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-B

Application under the Notification no. ----- dated -----
for the assessment case of year 2017-18 (first quarter) under Central Sales Tax Act.

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1	Dealer's name and address			
2	TIN (Taxpayers Identification No)			
3	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of first quarter of the financial year 2017-18. If "Yes" then attach copy of notice.			Yes/No
4	Description and date of compliance of such notice			
5	Gross Inter State sales			
6	Deductions			
	a	Sale price of wholly tax free goods		
	b	Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)		
	c	Other deductions (give details and evidence thereof)		
		Total deductions:		
7	Taxable sales (5-6)			
8	Rate wise classification of taxable sales			
		Description	Sales turnover	Rates of tax
		Amount of tax		
	1	Sales against 'C' Form declarations (as per list)		
	2	Sales without 'C' Form declaration		
	3.			
	4.			
9	Total tax payable			
10	Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.			

11	Amount of penalty (if payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.	
12	Total Tax payable, interest thereon and penalty, (9+10+11)	
13	Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from Vat Act.	
14	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
15	Amount of refund adjustment (RAO no.)	
16	Total (13+14+15)	
17	Remaining additional demand (12-16)	
18	Amount of refund (if any)	
19	Amount deposited at the time of application (specify challan: number and date)	

I, ----- Proprietor/Partner/Director of
----- hereby verify that the above facts are true to the best of
my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature -----

Name of Firm -----

FORM-C

Application under the Notification no. ----- dated -----
for the assessment case of financial year 2017-18(first quarter) under Entry Tax Act.

To,

The Assessing Officer,

1	Name and address of Dealer		
2	(TIN) Taxpayers Identification No		
3	Whether a notice under sub-section (5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respct of first quarter of financial year 2017-18. If "Yes" then attach copy of notice.		Yes/No
4	Description and date of compliance of such notice		
5	Gross purchase amount		
6	Deductions:-		
	(1)	Purchase price of goods exempted from entry tax under section 10.	
	(2)	Purchase price of local goods.	
	(3)	Purchase price of goods purchased from registered dealer, other than local goods.	
	(4)	Purchase price of Inter State sales of goods	
	(5)	Purchase price of sales/transfer of goods outside of the State	
	(6)	Purchase price of goods in the course of export	
	(7)	Purchase price of schedule III goods for resale	
	(8)	Other deductions (Give details and evidence thereof)	
	(9)	Total deductions	
7	Taxable purchase price (5-6)		
8	Calculation of tax on taxable purchase		
		Rate	Tax Payable
		Taxable purchase	

1	1 Percent		
2	2 Percent		
	3 Percent		
	10 Percent		
	12.5 Percent		
	25 Percent		
3	other rate		

9	Total Entry Tax payable	
10	Interest (if payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.	
11	Amount of penalty (if payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of the Vat Act.	
12	Total (9+10+11)	
13	Set off (if any)	
14	Amount of refund adjustment (RAO no.)	
15	Total (13+14)	
16	Remaining demand (12-15)	
17	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
18	Remaining additional demand (16-17)	
19	Refund amount, if any	
20	Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)	

I,----- hereby verify that the
 Proprietor/Partner/Director of-----
 above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 ARUN PARMAR, Dy. Secy.